संख्या-26/2020/265 ई-2/तेरह-2020-110/2014

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

आबकारी अनुभाग-**2** लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2020

विषयः होटल सहारा रेस्टोरेन्ट में स्वीकृत एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त उ.प्र. प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-2978/जि.आ.आ./बार अनु./एफ.एल.-7 बार/19-20 दिनांक 30-12-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 30-12-2019 में की गयी संस्तुति तथा इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी.-220/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.-6,7/होटल सहारा रेस्टोरेन्ट/बार अनु/वाराणसी, दिनांक 27-01-2020 में की गयी संस्तुति व अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय सिंह के पक्ष में होटल सहारा रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाइवे संख्या-56, भूमि गाटा संख्या-774/6 व 774/7 में पूर्व से स्वीकृत बार अनुज्ञापन उसी अवस्थिति में रेस्टोरेन्ट के ठीक पीछे पूर्वनिर्मित भवन सिसवा, परगना कोल असला, तहसील-पिंडरा, जनपद-वाराणसी में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्थानान्तरित कर संचालन कराये जाने की पूर्वानुमति व अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा एवं पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई में स्थापित अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी.(डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जाएगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत अनुज्ञापन के स्थान परिवर्तन से बार अनुज्ञापन की स्वीकृति हेतु प्रचलित शासनादेशों/नियमावलियों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2020/265(1) ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक

उपयुक्त की प्रति आबकारी आयुक्त प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-220/दस-लाइसेंस-39/एफ.एल.-6,7/होटल सहारा रेस्टोरेन्ट/बार अनु/वाराणसी, दिनांक 27-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in